

**फर्द अहकाम**

**कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द**

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

— अपीलांत

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 66/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p><b>दिनांक 08.04.2021</b></p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लो0सू0 अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा जरिये पत्रांक :- सू. काअधि0/2021/7269-70 दिनांक 31.03.2021 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लो0सू0 अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत अपील का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार हैं। बिन्दु संख्या 01 के संदर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में अपीलार्थी श्री गोपाल कंसारा पुत्र उदयलाल निवासी देवगढ़ को समस्त पत्रावलीयों का अवलोकन करा दिया गया हैं। चाही जाने वाली पत्रावलीयों उपलब्ध होने पर बता दी जावेंगी। अपील के बिन्दु संख्या 2 के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री गोपाल कंसारा पुत्र उदयलाल निवासी देवगढ़ को इस इस कार्यालय द्वारा समस्त रेकार्ड का अवलोकन कराया गया अवलोकन में समस्त पत्रावलीयों बताई गई। बिन्दु संख्या 3 के संदर्भ में निवेदन है कि प्रत्यर्थी द्वारा इस कार्यालय को भिजवाये जाने वाले उत्तर/जवाब प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं। बिन्दु संख्या 4 के संदर्भ में निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 2001 के अन्तर्गत दण्डित किये जाने का प्रावधान हैं। अतः जब भी रेकार्ड उपलब्ध हो जायेगा। रेकार्ड की प्रति भिजवाई जायेगी।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्टानुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



**लोक सूचना अपीलीय अधिकारी**  
**(जिला कलक्टर)राजसमन्द**